



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 439]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2011—आश्विन 5, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ ए-3-46-2011-1-पांच (72).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में, कालम (2) में,—

- (एक) अनुक्रमांक 48 के सामने, शब्द “फैब्रिक्स जिन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है” के स्थान पर, शब्द “अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की प्रथम अनुसूची, जो वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) के प्रभावशील होने की तारीख से पूर्व लागू थी, में विनिर्दिष्ट फैब्रिक्स” स्थापित किए जाएं;
- (दो) अनुक्रमांक 49 के सामने, शब्द “शक्कर जिन पर अतिरिक्त आबकारी शुल्क उद्ग्रहणीय था, किन्तु भारत सरकार द्वारा छूट दी गई है” के स्थान पर, शब्द “अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की प्रथम अनुसूची, जो वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) के प्रभावशील होने की तारीख से पूर्व लागू थी, में विनिर्दिष्ट शक्कर” स्थापित किए जाएं;

2. यह संशोधन इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. एफ ए-3-46-2011-1-पांच (72).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-46-2011-1-पांच (70), दिनांक 27 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th September 2011

No. F-A-3-46-2011-1-V(72).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in Schedule 1 to the said Act, namely:—

AMENDMENT

In Schedule 1 to the said Act, in column (2),—

- (i) against serial number 48, for the words “Fabrics on which additional excise duty was leviable, but exempted by the Government of India”, the words “Fabrics specified in the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (No. 58 of 1957) as it stood prior to the date on which the Finance Act, 2011 (No. 8 of 2011) came into force” shall be substituted;
- (ii) against serial number 49, for the words “Sugar on which additional excise duty was leviable, but exempted by the Government of India”, the words “Sugar specified in the First Schedule to the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (No. 58 of 1957) as it stood prior to the date on which the Finance Act, 2011 (No. 8 of 2011) came into force” shall be substituted.

2. This amendment shall come into force from the date of publication of this notification.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.